

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-409/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

बोटो मुण्डा.....आवेदक/विक्रेता

बनाम

1. प्यारी नाग वो 2. रोजलीन गधुमालती नाग.....विपक्षी/क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
23.11.2023	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती बोटो मुण्डा पिता/पति स्व० स्व० किनवा मुण्डा ग्राम-दतिया, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;"><b>भूमि का विवरण</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सिन्धुकेल</td> <td>76</td> <td>41</td> <td>91</td> <td>0.21½</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती बोटो मुण्डा पिता/पति स्व० स्व० किनवा मुण्डा ग्राम-दतिया, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता 1. श्री/श्रीमती प्यारी होरो पिता/पति मसीह दास नाग वो 2. श्री/श्रीमती रोजलिन मधुमालती नाग पिता/पति स्व० अन्तोनी नाग दोनों का ग्राम-कदमा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 167169184 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 839 दिनांक 10.11.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है खतियानी रैयत का नाम मंगरा मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी ॥ रैयतों में से एक किनवा मुण्डा के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी ॥ के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 27 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	सिन्धुकेल	76	41	91	0.21½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
सिन्धुकेल	76	41	91	0.21½								

है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 284 दिनांक 15.06.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCC/2017/862130 दिनांक 06.07.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2017/923725 दिनांक 18.07.2017 वो अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCC/2017/64216 दिनांक 29.01.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2017/15690 दिनांक 12.01.2017 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 839 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती बोटो मुण्डा पिता/पति स्व० स्व० किनवा मुण्डा ग्राम-दतिया, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती 1. श्री/श्रीमती प्यारी होरो पिता/पति मसीह दास नाग वो 2. श्री/श्रीमती रोजलिन मधुमालती नाग पिता/पति स्व० अन्तोनी नाग दोनों का ग्राम-कदमा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम सिम्बुकेल के खाता सं० 41 खेसरा संख्या 91 रकबा 0.21½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।